पत्रांक–7 / न0वि0 / NRCP (Harmu River)–09 / 2014.....154.....

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP (Harmu River)

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू , रांची ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॉंची, दिनांक–18/12/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में हरमू नदी, रॉंची के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अन्तर्गत TSP प्रक्षेत्र से सर्वश्री जुडको लिमिटेड, रॉंची को कुल 6,42,10,229/– रूपये (छः करोड़ बियालीस लाख दस हजार दो सौ उनतीस रूपया) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–4504 दिनांक–22.10.2014 के द्वारा हरमू नदी, रॉंची के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण से संबंधित योजना की कुल 87,43,55,000/–रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के दो भाग है :– (क) फेज–I (Urban Stretch) एवं (ख) फेज–II (Rural Stretch), जिसकी स्वीकृत राशि क्रमशः 86,14,92,052/–रू० एवं 1,28,62,728/–रू० है। पुनः विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आलोक में इस योजना के फेज–I (Urban Stretch) की लागत में कुल 14,75,40,866/–रूपये (20% से कम) की वृद्धि करते हुए कुल 100,90,32,918/–रूपये की योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक कुल 84,00,00,000/- रूपये आवंटित किये गये हैं, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	मद	स्वी0आ0सं0 / दिनांक	आवंटित राशि
1	2014–15	13वाँ वित्त	12 / 19.05.2014	150000000
2	2015–16	वृहत शहरी परिवहन एवं नगरीय आधारभूत संरचना	16 / 19.05.2015	300000000
3	2016–17	वृहत शहरी परिवहन योजनाऐं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना	205 / 14.12.2016	300000000
4	2017–18	वृहत शहरी परिवहन योजनाऐं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना	351 / 22.03.2018	45000000
5	2018–19	वृहत शहरी परिवहन योजनाऐं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना	131 / 25.10.2018	45000000
			कुलः–	₹ 84,00,00,000

3. सर्वश्री जुडको लि० के पत्रांक–5204 दिनांक–30.11.2018 द्वारा प्राप्त मांग के आलोक में उक्त योजना के नियमानुसार कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अन्तर्गत TSP प्रक्षेत्र से सर्वश्री जुडको लिमिटेड, रॉंची को कुल 6,42,10,229/– रूपये (छः करोड़ बियालीस लाख दस हजार दो सौ उनतीस रूपया) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य –लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–94–शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजना/ Urban Projects in Water Supply, Solid Waste Management, Sewerage & Drainage, Civic Infrastructure, Housing etc.– विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780796940679 से विकलनीय होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड होगें, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रॉंची से की जायेगी।

(

6. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का जुडको लिमिटेड, राँची के पी०एल०खाते में भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

7. स्वीकृत राशि से योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या–4504 दिनांक–22.10.2014 में उल्लेखित शर्त्त एवं विभागीय स्तर से स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप की जायेगी।

8. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में हरमू नदी, राँची के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए आवंटित की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	सर्वश्री जुडको लि० से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
1	राँची नगर निगम	12/19.05.2014	15,00,00,000/-	15,00,00,000/-
2	सर्वश्री जुडको लिमिटेड	16/19.05.2015	30,00,00,000/-	30,00,00,000/-
3	सर्वश्री जुडको लिमिटेड	205/14.12.2016	30,00,00,000/-	30,00,00,000/-

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/न0वि0/NRCP (Harmu River)–09/2014........154........../न0वि0वि0, राँची, दिनांक– 18/12/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/परियोजना निदेशक (तकनीकी एवं लेखा), जुडको लिमिटेड/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Rakesh/E/shail Sir/Major Urban Project 18-19-38